Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **वृत्ताधिकारी, झुंझुनू ग्रामीण को दो कानिस्टेबल सहित 1 लाख 55 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *17 सितम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर देहात इकाई द्वारा आज शुक्रवार को झुंझुनु में कार्यवाही करते हुये भंवर लाल खोखर उप अधीक्षक पुलिस वृत्ताधिकारी, वृत–झुंझुनु ग्रामीण को कानिस्टेबल महिपाल एवं राजवीर सहित परिवादी से 1 लाख 55 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा दर्ज कराये गये दहेज के प्रकरण में चालान पेश करने की एवज में भंवर लाल खोखर उप अधीक्षक पुलिस वृत्ताधिकारी, वृत–झुंझुनु ग्रामीण द्वारा कानिस्टेबल महिपाल एवं राजवीर के माध्यम से 2 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जयपुर देहात इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री नीरज भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक श्री मानवेन्द्र सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा झुंझुनु में ट्रेप कार्यवाही करते हुये **महिपाल** पुत्र श्री हरिराम निवासी ग्राम लोयल, पुलिस थाना खेतड़ीनगर, जिला झुंझुनू हाल कानिस्टेबल पुलिस थाना मुकुन्दगढ़, जिला झुंझुनू को परिवादी से **1 लाख 55 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में **भंवरलाल खोखर** पुत्र श्री केशाराम जाट निवासी क्यामसर, पुलिस थाना मौलासर हाल निवासी क्वाटर नं0 10, पुलिस लाईन झुंझुनू हाल उप अधीक्षक पुलिस वृत्ताधिकारी, वृत–झुंझुनू ग्रामीण एवं **राजवीर सिंह** पुत्र श्री महावीर सिंह जाट निवासी ओजटू चिड़ावा, जिला झुंझुनू हाल कानिस्टेबल जिला विशेष शाखा, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला झुंझुनू को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।